

फॉर्म अहकाम

(नियम 20)

अज्ञ अदालत उपरपट्ट अधिवक्ता मुकाम खारवेरी  
 मोहम्मदशाह उर्फ शहाजाद पेशनाम - चौधरी  
 किरम मुकदमा 188 R.T.Act नं. 138/वा.उ.२१ सन.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.1.26	<p>रजिस्ट्रार से रिपोर्ट होकर वाद-पत्र पेशा हुआ                      वादी अधिवक्ता उपर-पट्ट। वाद-पत्र दर्ज                      रजिस्ट्रार होकर जर्ने सम्मल उत्तिवादीगण                      को तलब कर पत्रावली दिनांक 20.1.26                      को पेशा है।</p>	
26/1/26	<p>पत्रावली पेशे हुई। अनथपट्ट अधिवक्ता उप.                      उत्तिवादीगण सं 1 लगायत 3 की आगत                      तामील प्राप्त हो चुकी है तामील बुनिडा की                      रिपोर्ट मुवाबिक उक्त उत्तिवादीगण गांव                      में नहीं रहना बताया गया है। उत्तिवादी                      संख्या 5 की तामील हो चुकी है।                      वादी अधिवक्ता को रजिस्ट्रार की जरूरत                      सही पता ज्ञात कर रजिस्ट्रार तलबना                      पेशा करे। रजिस्ट्रार तलबना पेशा होने                      पर तलबी जारी है। वास्ते तलबी                      पत्रावली आगामी दिनांक 01-04-26                      को पेशा है।</p>	
1-4-26	<p>पत्रावली पेशा हुई वादी के अधिवक्ता                      उपस्थित वादी के अधिवक्ता ने वाद                      पत्र को नोट प्रेष कर कथन किया।</p>	<p>Not Pk                      →</p>

रीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी वाड-पत्र को आगे चलाना नहीं  
चाहते थे नोट प्रेस में रेकार्ड करवाया  
जावे. नोट प्रेस आडोथीना पत्र किया  
गया। अतः वादी आवेदनमा द्वय वाड  
पत्र को नोट प्रेस रेकार्ड किया जाता  
है पत्रावली नम्बर से काम होकर  
बाद तकमील दाखिल दफ्तर ही।

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बुन्दी)

न्यायालय

मोहम्मद  
इन्त